

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 61] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 1973/माघ 23, 1894

No. 61] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 1973/MAGHA 23 1894

इस भाग में सिद्ध पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February 1973

S.O. 97(E).—In pursuance of clauses 12B and 12E of the Colliery Control Order, 1945 as continued in force by section 16 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Metals (Department of Mines and Metals) No. S.O. 2464, dated the 24th July, 1967, namely:—

In the said notification:—

- (i) for the words “blendable coals”, the words “blendable coals, middlings and sinks” shall be substituted;
- (ii) the following Explanation shall be added at the end, namely:—

“Explanation.—In this notification:—

- (a) “middlings” means the intermediate or end products having an ash content not exceeding 35 per cent obtained from a coal washery;
- (b) “sinks” means the end products obtained from a two-product coal washery containing sufficient carbonaceous matter as to merit their utilisation for commercial purposes.”

[No 3(10)/72-C II.]

S. B. LAL, Jt Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1973

का० आ० 97(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का.10) की धारा 16 द्वारा यथा प्रवृत्तमान कोयला खान नियंत्रण आदेश, 1945 के खण्ड 12ख और 12ङ के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात, खान और धातु मंत्रालय (खान और धातु विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 2464, तारीख 24 जुलाई, 1967 में एतद्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है; अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

- (i) “समिश्रणीय कोयला” शब्दों के स्थान पर “समिश्रणीय कोयला, मध्यवर्ती और निष्कास (Sinks)” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (ii) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना में :—

- (क) “मध्यवर्ती” से उन अर्धवर्ती या अन्तिम उत्पादों से अभिप्राय है जिनमें कोयला प्रक्षालनशाला से अभिप्राप्त 35 प्रतिशत से अनधिक राखांश हो;
- (ख) “निष्कास” से उस द्वि-उत्पाद प्रक्षालनशाला से अभिप्राप्त अन्तिम उत्पादों से अभिप्राय है जिसमें वाणिज्यिक प्रयोजनों के उपयोग की दृष्टि से पर्याप्त कार्बियुक्त धातु अन्तर्विष्ट हो।”

[सं० 3(10)/72-को दो]

शरण बिहारी लाल, संयुक्त सचिव ।